

कार्यालय, अंचल अधिकारी, बरकड़ा, हजारीबाग।

आदेश पत्रक

वाद संख्या : ..... 2017-8 / 2020-21  
लेख्य प्रकार- संदेहात्मक जमाबंदी


3/11/20

अभिलेख का संधारण E-Court (Revenue) में लंबित वाद के विरुद्ध किया गया। उपरोक्त वाद से संबंधित अभिलेख का संधारण वर्ष 2016-17 में किया गया था। कार्यालय के नये भवन में हस्तांतरण के क्रम में अभिलेख के अन्यत्र रख दिये जाने एवं नहीं मिलने के कारण पुनः सृजन किया गया। अपर समाहर्ता, हजारीबाग के पत्रांक-1389/रा0 दिनांक 24.06.2016 के आलोक एवं निदेशन भू-अर्जन सह विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र सं0-03-खा0म0 नीति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0-914/रा0 दिनांक 19.12.1998 में निहित अनुपश/निर्देश के अनुपालन में गै0 म0 खास भूमि के विरुद्ध कायम की गई जमाबंदियों की जाँच के क्रम में राजस्व उप नि0 एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नवत् गै0 म0 खास भूमि की जमाबंदी कायम है।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा	जमाबंदीदार रैयत का नाम	पंजी-2 का पृ0सं0/भाग
<u>कान्हाखण्ड</u>	0)	-	4.96	<u>कवतुल मिश्रा प्रिया लक्ष्मी मिश्रा</u>	59/5

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने उपरोक्त वर्णित जमाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए प्रतिवेदन दिया है।


अतः संबंधित को संधारित जमाबंदी के विरुद्ध राजस्व दस्तावेज उपस्थापित करने हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 23/11/20 को उपस्थापित करें

  
अंचल अधिकारी  
बरकड़ा

अभिलेख उपस्थापित। सूचना का तामिला प्राप्त। झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड के पत्रांक-04/स0भू0 (दिशा-निर्देश)-95/2016-2074, दिनांक-13.05.16 के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में जाँच की गई। जमाबंदीदार रैयतों द्वारा संदेहात्मक जमाबंदी के विरुद्ध भूतपूर्व जमींदार के द्वारा 01.01.1946 से पूर्व का हुकुमनामा, वर्ष 1955-56 से लगायत रसीद, भूतपूर्व जमींदार का Form-M एवं सरकारी स्तर पर किये गये बंदोबस्ती संबंधी किसी प्रकार का दस्तावेज उपस्थापित नहीं किया।

अतः बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) में विहित प्रावधानुसार जमाबंदी सं0 59/2 बनाम कवतुल मिश्रा को संदेहात्मक मानते हुए रद्द करने की अनुपस्था की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरही को भेजें।

27/11/20

  
अंचल अधिकारी  
बरकड़ा

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम - काठडा निवा' 5/6 नवू मिपा

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :- 7/8 ख/ग

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>कामेहा खूँ</u>	99	61	-	4.96

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या I पृष्ठ सं०-59 पर कायम है -

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 1978-79

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गोठराज

6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है आदेश प्राप्त नहीं है


7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम - -

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूवन्दोवस्ती - -

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (मूलभूत जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोवस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी) पंजी-II से

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
	<u>7068652</u>	<u>10-6-13</u>	<u>2013-14</u>

  
 (W) 23/11/2013

संवंधित/अवैध जमावन्दी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला  
चेक लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम -
2. क) अवैध जमावन्दीदार का नाम-
- ख) अवैध जमावन्दी की भूमि की विवरणी-

गाँव	थाना न०	खाला सं०	खेतरा सं०	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7
कोनहरा ज०	99	51	-	4.96 225	गोबर की नहर वाला खेत पर किराने दाल है।	गोबर की नहर वाला खेत पर किराने दाल है।

गोबर की नहर  
वाला खेत  
पर किराने  
दाल है।

3. भूनि का वर्तमान स्वरूप- पट्टा
4. अवैध जमावन्दी पंजी II में कब से संधारित है- 1978-79
5. उक्त जमावन्दी पंजी II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम- -  
(पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें।)
6. नामान्तरण/दाखिल --खारिज उपरान्त संधारित जमावन्दी के मामलों में मूल जमावन्दी रैयत की विवरणी-
7. अवैध जमावन्दी कायम किये जाने का आधार
  - i) अनिवंधित सादा हुकुमनामा
  - ii) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद सं० एवं पारित आदेशानुसार)
  - iii) अवैध भू-बन्दोवस्ती (वाद सं० के साथ)
8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथाकथित सादस पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रूपये कम या इससे अधिक)
9. अवैध जमावन्दी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है:-
  - i) नूत पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से - अचल
  - ii) अंचल / अनुमंडल में संधारित बन्दोवस्ती पंजी से - न
  - iii) दाखिल-खारिज/भू-हस्तांतरण/नामान्तरण पंजी से - पंजी II
10. क) अवैध जमावन्दी क्या दिनांक 01.01.1946 के पूर्व से कायम है? न
11. क्या दिनांक 01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? न
12. वर्ष 1954-55 में हुए फिर्द बुझारत पंजी में दखल कब्जा अवैध जमावन्दीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? न
13. राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशांसा सहित- भूमि गेट रवाडा निहो जमान जमान
14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जमीनपत्र मन्तव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन भूमि गेट रवाडा निहो जमान जमान

अंचल अधिकारी भूमि सुधार उपसमाहर्ता अनुमंडल पदा० अपर सनाहर्ता उपायुक्त